(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 518–दो/2005 – विरूद्व आदेश दिनांक 11–4–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल –' प्रकरण कमांक 526/2003–04/अपील

हेमन्त शर्मा पुत्र स्व.शुभाष चन्द्र शर्मा

ग्राम ककरावली तहसील कुरवाई

जिला विदिशा मध्य प्रदेश

——आवेदक

विरूद्व

अशोक कुमार पुत्र कुन्दनलाल शर्मा

ग्राम ककरावली तहसील कुरवाई

जिला विदिशा मध्य प्रदेश

—— अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द चतुर्वेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 4–7–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 526/2003–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 11–4–2005 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार कुरवाई के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मॉग की कि ग्राम ककरावली स्थित भूमि सर्वे कमांक 175 रकबा 1.935 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर अनावेदक के नाम शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है किन्तु वर्ष 1996 से उसका कब्जा चला आ रहा है इसलिये शासकीय अभिलेख में उसका कब्जा दर्ज किया जाय। नायव तहसीलदार कुरवाई ने प्रकरण कमांक 19 अ–6–अ/2002–03 पंजीबद्व किया एंव आदेश दिनांक 21–7–2003

प्रकरण कमांक 19 अ–6–अ/2002–03 पंजीबद्व किया एंव आदेश दिनांक 21–7–2003 पारित करके आवेदक का आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 15/03–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–9–2004 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 21–7–03 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 526/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 11–4–2005 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से प्रकरण में देखना है कि क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा दर्ज किया जा सकता है अथवा नहीं ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 115, 116 के अंतर्गत मात्र अशुद्व प्रविष्टियों को ठीक किया जा सकता – शासकीय अभिलेख में किसी प्रकार नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती। (मोहम्मद विरूद्व मोहन 2000 रा0नि0 177 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–116 – कब्जे के सम्बन्ध में नवीन प्रविष्टि के लिये किया गया दावा – ऐसा दावा ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन योग्य नहीं है (परमाल सिंह विरूद्व महिला बसंती देवी 1996 रा0नि0 324 से अनुसरित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार कुरवाई व्दारा प्रकरण कमांक 19 अ–6–अ/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2003 नियमों के विपरीत है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई ने प्रकरण कमांक 15/03–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–9–2004 से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 21–7–03 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 526/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–4–2005 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 526/2003—04 अपील में पारित आदेश दिनांक 11—4—2005 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर